भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2433
21 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : भारत्त दाल योजना का दलहन उत्पादन पर प्रभाव

2433 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में भारत दाल उत्पादन स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इससे दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, बफर मानदंडों को पूरा करने और दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में किस हद तक मदद मिलेगी, सिक्किम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सिक्किम को भारत दाल योजना में शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत दाल उत्पादन स्वावलंबन अभियान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तूर (अरहर), उड़द और मसूर का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है, ताकि आयात पर निर्भरता न्यूनतम हो और भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने तथा दलहनों की बफर आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2023 में "भारत दाल" ब्रांड नाम से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है। भारत दाल का विस्तार कर इसमें मूंग दाल, मूंग साबुत और मसूर दाल को शामिल किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा बिक्री की जा सके। भारत दाल स्कीम को सिक्किम राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार पीएम-आशा के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है। सरकार ने खरीद वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पूर्व पंजीकृत किसानों से पीएसएस के तहत एमएसपी पर उचित और औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है और वर्ष 2024-25 के लिए भी इसे जारी रखा है। इसके अतिरिक्त , सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में यह भी घोषणा की है कि देश में दलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन के 100% तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी।

सरकार प्रतिकूल मौसमी स्थिति आदि के कारण फसलों की हानि होने की स्थिति में जोखिम को भी कम करती है, जिसके लिए किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से उच्च उपज वाले बीज ऋण सहायता, पीएसीएस के माध्यम से स्थानीय खरीद और ग्रामीण भंडारण बिंदुओं पर भंडारण सहित गुणवत्ता इनपुट आपूर्ति के माध्यम से भी सहायता करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/दलहन अनुसंधान निदेशालय को इन दलहनों की उच्च उपज वाली किस्मों के मार्गदर्शन/आपूर्ति के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सरकार किसानों को अन्य फसलों की खेती से इन दलहनों की खेती में विविधता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऐप पर पंजीकरण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में उगाई जा रही फसलों की गणना भी कर रही है।

सरकार ने 40,500 करोड़ रुपये की मौजूदा गारंटी को बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के एक घटक पीएसएस के तहत एमएसपी पर अधिसूचित दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को मंजूरी दी गई है।

*****